भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1585

(12 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत नए आवासों को मंजूरी और सहायता राशि

1585. श्रीमती महुआ माजी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 2,22,069 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इन आवासों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या झारखंड के आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति आवास 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों की सहायता करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 08.12.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.86 करोड़ आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं और 2.92 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। झारखंड राज्य में, वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत झारखंड राज्य को 2,22,069 आवास आवंटित किए गए हैं।

(ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, झारखंड राज्य को पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय अंश के रूप में 1,522.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसमें से 761.27 करोड़ रुपये राज्य में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं।

(ग): जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, झारखंड राज्य सहित मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता ₹1.20 लाख है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों में (जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) इकाई सहायता ₹1.30 लाख है। इस इकाई सहायता के अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत के माध्यम से शौचालय के निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता भी प्रदान की जाती है।

पीएमएवाई-जी के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए निर्धारित किया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत, इसकी शुरूआत से झारखंड राज्य को आवंटित कुल लक्ष्य में से दिनांक 08.12.2025 तक अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 6,23,814 आवास स्वीकृत किए गए हैं और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए 5,31,787 आवासों को पूरा किया गया है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के आवास कार्यकलाप के कार्यान्वयन में सहायता कर रहा है। पीएम जनमन के आवास कार्यकलाप के तहत मार्च 2026 तक पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए 4.90 लाख आवासों के निर्माण हेतू सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। मनरेगा से 90/95 दिनों के श्रम दिवस और एसबीएम/मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य विशिष्ट स्रोत से शौचालय के प्रावधान के साथ पीएम-जनमन के तहत इकाई सहायता ₹2 लाख है। दिनांक 08.12.2025 तक, झारखंड राज्य को 36,330 आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 36,329 आवासों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और 8,545 आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत आवास कार्यकलाप भी कार्यान्वित कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान आदिवासी लाभार्थियों के लिए 20 लाख आवासों का निर्माण करना पीएमएवाई-जी के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले अभियान के कार्यकलापों में से एक है। डीए-जेजीयूए आवास कार्यकलाप को पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।